

SDO BHL
जैसी v/s मौली उ.श. 27/2006

12/7/22

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पौठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अध्यापक में है। पत्रावली साविक आदेश
दिनांक 13/7/22 को पेश हो।

आदेश से रीडर

13/7/22 - पत्रावली पेश हुई। पार्थी अधिवक्ता
अनुपस्थित। पार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित
रहने से बार-बार विधिवत आवाजे
दिलवाई गई इससे उपरान्त भी
उपस्थित नहीं होने से पार्थी अधिवक्ता
का प्रार्थनापत्र अदम हाजरी / अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली के सल सुमार होकर दायिल
दफ्तर है।

अधिवक्ता
मौली